



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-02012024-251064
CG-DL-E-02012024-251064

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 29]

नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 2, 2024/पौष 12, 1945

No. 29]

NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 2, 2024/PAUSHA 12, 1945

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 29 दिसम्बर, 2023

का.आ. 34(अ).—निर्यात (गुणवत्ता नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार, एतद्वारा वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार के दिनांक 9 नवंबर, 2020 के का.आ.4031 (अ) के आदेश में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात् :-

उक्त आदेश में, पैराग्राफ 15 में, खंड (क) के लिए निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

(क) "अधिसूचित किया जाता है कि दूध और दूध उत्पाद निर्यात से पहले गुणवत्ता नियंत्रण या निरीक्षण या दोनों के अध्वधीन होंगे। हालांकि स्वास्थ्य प्रमाणपत्र की आवश्यकता केवल तभी होगी जब आयात करने वाले देश को इसकी विशिष्ट आवश्यकता हो";

[फा. सं. के-16012/17/2023 - निर्यात निरीक्षण]

विपुल बंसल, संयुक्त सचिव

नोट :-मूल आदेश भारत के राजपत्र, भाग-II, खंड 3, उप-खंड (ii) में दिनांक 9 नवंबर, 2020 के का.आ. 4031 (अ), के तहत प्रकाशित किया गया था।

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**(Department of Commerce)****ORDER**

New Delhi, the 29th December, 2023

S.O. 34(E).—In exercise of the powers conferred by section 6 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963), the Central Government hereby makes the following order to amend the Order of the Government of India in the Ministry of Commerce and Industry, vide number S.O.4031(E) dated, the 9th November 2020, namely: -

In the said order, in Paragraph 15, for clause (a) the following clause shall be substituted namely:-

- (a) “notifies that the milk and milk products shall be subjected to quality control or inspection or both prior to export. However, the Health certificate shall be required only in the case, where importing country has specific requirement for the same” ;

[F. No. K-16012/17/2023 - Export Inspection]

VIPUL BANSAL, Jt. Secy.

Note :- The principal order was published in the Gazette of India, Part-II, section 3, sub-section (ii), vide number S.O. 4031(E), dated 9th November, 2020.